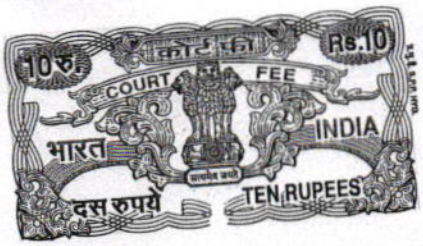

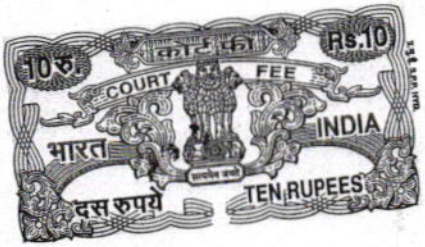

(५१)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

निग-2066-II-16

प्रकरण क्रमांक : .....

चैन सिंह आत्मज हमीर सिंह, वयस्क
जाति सेंघव, कृषक व निवासी –
कस्बा जावर, तहसील आष्टा,
ज़िला सीहोर ..... प्रार्थी

विरूद्ध

01. नरेन्द्र सिंह, वयस्क
02. कुमेर सिंह, वयस्क
03. फूलसिंह, वयस्क
04. सजन सिंह, वयस्क

समस्त पुत्रगण सेवाराम,
कृषक व निवासी – कस्बा जावर,
तहसील आष्टा, ज़िला सीहोर ..... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश पत्रिका दिनांक 26.05.2016, जो प्रकरण क्रमांक 2/अ–13/14–15 में न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील जावर, ज़िला सीहोर द्वारा पारित किया गया

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भू खसरा क्र. 173/1/2 कुल 3.48 एकड़ भूमि पर प्रार्थी आने–जाने एवं कृषि यंत्र बगैरा लाने–ले जाने का रास्ता प्रतिप्रा की कृषि भूमि में होकर जाता है। प्रतिप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2066–दो/2016 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04 – 8–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जावर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 2/अ–13/14–15 में पारित आदेश दिनांक 26–5–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के प्रति एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक चैनसिंह द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के तहत रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदक ने दिनांक 05–5–16 को पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जो तहसीलदार ने 500/– की कास्ट पर अंतिम अवसर स्वीकृत किया और आगामी पेशी दिनांक 26–5–16 नियत की। आगामी पेशी दिनांक 26–5–16 को आवेदक द्वारा पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिसे तहसीलदार द्वारा यह पाते हुये कि पूर्व में आवेदक को पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं, आवेदक का साक्ष्य हेतु अवसर समाप्त किया तथा अनावेदक के साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया। तहसीलदार की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 05–05–16 एवं 26–5–16 के पूर्व भी आवेदक को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये गये थे। इसके बावजूद भी आवेदक द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। चूंकि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत रास्ता खुलवाये जाने हेतु	